# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

विविध वाद सं0– 125/2022–23 (S.T.)

सागरी सरदार एवं अन्य 02 ..................... प्रथम पक्ष।

बनाम

लखन हाँसदा .................................. द्वितीय पक्ष।

| क्रमांक/ तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की ग... कारव... |
|---|---|---|
| 27.01.23 | यह वाद मौजा–उपरपावड़ा, थाना नं0–116, खाता नं0–117, प्लॉट न0–114, रकवा–5.61 डी0, वार्षिक लगान 4.00 रू0, भूमि के अन्तरण से संबंधित है। इस वाद की आवेदक (1) सागरी सरदार, पति–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज, (2) श्री महाबीर सरदार एवं (3) श्री तपन सरदार, दोनों के पिता–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज, ग्राम–गोपालपुर (काटिंगपाड़ा), थाना–घाटशिला, जिला –पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं। विपक्षी श्री लखन हाँसदा, पिता–श्री भागीरथ माझी, ग्राम–सराडबर, थाना–घाटशिला, जिला –पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं।<br>इस वाद में निर्गत सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के अन्तरण हेतु समर्पित कागजात एवं शपथ पत्र सं0–03, दिनांक–02.01.2023 तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–45, दिनांक–25.01.2023 के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवेदक संख्या–1 सागरी सरदार के ससुर तथा आवेदक संख्या–2 एवं 3 क्रमशः महाबीर सरदार एवं तपन सरदार के पितामह हगरू भूमिज के नाम पर हाल सर्वे 1964 में दर्ज है। हगरू भूमिज आवेदित भूमि के, खतियानी/जमाबंदी रैयत हैं।<br>आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक को उक्त जमीन बिक्री हेतु प्रथम द्रष्टया हक प्राप्त है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके परिवार के जीवन निर्वाह हेतु लगभग 04 एकड़ से अधिक जमीन शेष बचता है। आवेदक आवेदित भूमि को आवश्यक पारिवारिक खर्च एवं ऋण अदायगी इत्यादि की प्रतिपूर्ति के लिए 14,50,000.00 (चौदह लाख पचास हजार) रू0 में बिक्री करना चाहते हैं, जो अपरिहार्य है।<br>दिनांक 04.01.2023 को निर्गत सर्वसाधारण सूचना के विरूद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उभय पक्ष अर्थात बिक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के अन्तर्गत निवास करते हैं।<br>अतः उपर्युक्त प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 46(क) के अन्तर्गत आवेदित भूमि के अन्तरण हेतु आवेदकगण को इस भार्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि क्रेता एवं बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल कब्जा/कोई विवाद के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगें।<br><br>लेखापित<br>27/01/23<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,<br>घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।<br>(अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त) | c.c. of last order is issued vide no.-31/23 dt 01.02.23 |

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2024.09.20 13:34:51 +05:30
Location: 192.168.1.41